न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुनमान राम बनाम च-डी देवी वगै.

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं - 20/2019
30.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/03/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.11 18:07:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
20/2019	2019/063	04.04.2019	30.03.2022

उनवान प्रकरण

1. हनुमान दास पुत्र नारायणदास आयु 40 वर्ष जाति स्वामी निवासी ग्राम दौलतपुरा तन हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम

1. चन्दा देवी पत्नी प्रभुदास पुत्र श्री गोपालदास
2. जगदीस पुत्र प्रभुदास
3. बाबुलाल पुत्र प्रभुदास
4. गिरधारी पुत्र प्रभुदास
5. गिरीराज उर्फ पूरणमल पुत्र प्रभुदास

   जाती स्वामी निवासीगण भुरी भड़ास तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान
6. लाडा देवी पत्नी रमसूदास पुत्री भूरादास जाती स्वामी निवासी ग्रम झीराना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
7. बंशी पत्नी बिडदूदास पुत्री नारायणदास आयु 45 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान
8. बिमला पत्नी बाबूलाल पुत्री फूलादास
9. म्हादी पत्नी झाबर पुत्री फुलादास

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.11 18:07:09 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

समस्त जाती स्वामी निवासीगण ढाणी मुलपटयावाली तन ग्रम भुरी भडास तहसील कोटपुतली जिला जयपुर राजस्थान

10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी न. 10 की ओर से

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि पुराने भूमी खसरा नम्बर 1542, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548 जिनके नवीन खसरा नम्बर 1986 से 2001, 2052, 2054 से 2063 कुल किता 26 कुल रकबा 6.36 हैक्टर तन ग्रम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है जिसका 1/32 हिस्सा का राजस्व रिकार्ड गोपालदास पुत्र भूरदास व 1/32 हिस्से का नारायणदास पुत्र पदमदास के नाम चला आ रहा है। जो गलत है। पुराने भुमी खसरा नम्बर 1514 से 1520, 1522 से 1528 जिनके नवीव खसरा नम्बर 2032 से 2041, 2043, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073/2144 कुल किता 16 कुल रकबा 6.88 हैक्टर तन ग्रम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है जिसका 1/32 हिस्से का राजस्व रिकार्ड गोपालदास पुत्र भूरदास व 1/32 हिस्से का नारायणदास पुत्र पदमदास के नाम चला आ रहा है। जो गलत है। वादी एंव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 आपस मे एक ही परिवार खानदान के है। जिनका सजरा खानदान संलग्न हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.11 18:07:09 IST
Reason: SelfAttested

20/12/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त वर्णित भूमियों का संवत 2023 से 2026 का राजस्व रिकार्ड गोपालदास व भुरदास नारायणदास वल्द पदमदास हिस्सा 1/16 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलती एंव सहवन से उक्त भूमियों की नवीन खातेदारी अंकित करते समय राजस्व रिकार्ड में गोपालदास को भूरदास का पुत्र बताते हुए 1/32 हिस्से का राजस्व रिकार्ड गोपालदास एंव शेष 1/32 हिस्से का राजस्व रिकार्ड नारायणदास पुत्र पदमदास के नाम अंकित कर दिया जो कि कतई गलत है । जबकि गोपालदास एंव भूरदास एंव नारायणदास तीनों सगे भाई है जिनके खातेदारी तीनों भाईयों के 1/48, 1/48, 1/48 हिस्से की अर्थात् 1/16 सम्पूर्ण दर्ज होनी चाहिए थी। वादी एंव प्रतिवादीगण ने अपने बुजुर्गान के समय से उक्त भूमियों का बाह्मी बंटवारा कर लिया था। बाह्मी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उक्त वर्णित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा 1/16 वादी के हक अधिकार में आया था। जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि के 1/16 हिस्से पर काबिज काश्त एंव आबाद चला आ रहा हैं। वादी की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण एंव दीगर किसी का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। वादी राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का एंव उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाने का अधिकारी है। उक्त राजस्व रिकार्ड में गोपालदास को भूरदास का पुत्र बताते हुए 1/32 हिस्से का राजस्व रिकार्ड गोपालदास एंव शेष 1/32 हिस्से का राजस्व रिकार्ड नारायणदास पुत्र पदमदास के नाम अंकित कर दिया जो कतई गलत है।जिसे वादी दुरूस्त कराकर उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी ने अपने हिस्से में आयी उक्त भूमियों को अपनी स्वयं की मेहनत व लाखो रूपए लगाकर उन्नत एंव उपजाउ बनाया है। वादी के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है इसलिए वादी के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी नाम दर्ज कराने बाबत वादी ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अंत में दिन पहले इन्कार हो गये तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.11 18:07:09 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए दावा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 2 ता 7 ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 8 व 9 की तामील रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 603/भू.अ./2021 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। साक्ष्य वादी में वादी हनुमानदास व साक्ष्य वादी गवाहान् में सुणाराम पुत्र भगवानदास व जगदीश पुत्र भगवानदास के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से एंव अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आध... सम्वत् 2074–2077–तीन, 2023 से 2026, 2027 से 2030, 2069 से 2072, ... जारी मिलान क्षेत्रफल, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी बन्दोबस्त, पक्षकारान् के ... आपस में हुए राजीनामा, साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.11 18:17:09 IST
Reason: SelfAttested

10/03/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादी में पेश वादी व गवाहान् के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी गोपालदास पुत्र भूरदास व नारायण दास पुत्र पदमदास के नाम दर्ज रिकार्ड है। गोपालदास, भूरदास एंव नारायणदास तीनों का सगे भाई होना सजरा खानदान से प्रकट होता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया है। साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्रों में भी गवाहान् ने वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों बाबत अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्रों व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी अपने कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा करवाये जाने का अधिकारी प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा नवीन खसरा नम्बर 1986 से 2001, 2052, 2054 से 2063 कुल किता 26 कुल रकबा 6.36 हैक्टर व खसरा नम्बर 2032 से 2041, 2043, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073/2144 कुल किता 16 कुल रकबा 6.88 हैक्टर तन ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/32 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गोपालदास पुत्र भूरदास व 1/32 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में नारायणदास पुत्र पदमदास का नाम संशोधन कर गोपालदास, भूरदास, नारायणदास पुत्रगण पदमदास नाम दर्ज कर उक्त सम्पूर्ण 1/16 हिस्से का वादी को काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त सम्पूर्ण 1/16 हिस्से से प्रतिवादीगण एंव मृत्तक खातेदारान् गोपालदास,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.11 18:07:09 IST
Reason: SelfAttested

10/02/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

...भूदास, नारायणदास, प्रभूदास, फूलादास का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ...ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय ...एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने ...कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल ...र होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/03/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ...यायालय में सुनाया गया।

30/03/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.11 18:07:09 IST
Reason: SelfAttested